रजि॰ सं॰ यू॰ पी॰ डब्लू॰/एच॰ पी॰ 828
लाइसेन्स सं॰ डब्लू॰ पी॰—41
लाइसेन्स द्वारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स विभाग

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 जुलाई, 1998

आषाढ़ 18, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 2/1/97—का0—2-1998

लखनऊ, 9 जुलाई, 1998

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—37

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अभिभावी प्रभाव

2—किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषा

3—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :

(एक) किसी पद के सम्बन्ध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सशक्त नियुक्ति प्राधिकारी से है ;

(दो) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण

4--(1) किसी व्यक्ति को--

(एक) जो राज्याधीन सेवा में 29 जून, 1991 के पूर्व समूह "ग" के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो, और

(दो) जो ऐसी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो, समूह "ग" के पदों पर केवल किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के समय पर प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप नियम (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्तियां

5--नियुक्ति प्राधिकारी नियम 4 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए, उक्त नियम के उप नियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची में से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियम आदि के अधीन किया गया समझा जायगा।

6--इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियां संगत सेवा नियमों या आदेश के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी।

ज्येष्ठता

7--(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

8--ऐसे व्यक्ति की सेवा जो दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात् उपयुक्त न पाया जाय, तत्काल समाप्त कर दी जायगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/1/97-Ka-2-1998, dated July 9, 1998 :

No. 2/1/97-Ka-2-1998

Dated, Lucknow, July 9, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, The Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF DAILY WAGES APPOINTMENT ON GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 1998

Short title and Commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Regularisation of Daily Wages Appointment on Group 'C' Posts (outside the perview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 1998.

(2) They shall come into force atonce.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context :

(*i*) 'appointing authority' in relation to any post means the authority empowered under the relevant service Rules to the elementation to such rules.

(*ii*) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh.

Regularisation of daily wages appointment on Group 'C' Posts

4. (1) Any person who —

(*i*) was directly appointed on daily wage basis on Group 'C' posts in the Government service before June 29, 1991 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules; and

(*ii*) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment for that post at the time of such appointment under the relevant service rules on daily wage basis, shall be considered for regular appointment on group 'C' post in permanent or temporary vacancy as may be available on the date of eommencement of these rules, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service Rules or orders.

(2) In making regular appointments under these rules, reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes) Act, 1994 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and orders of the Government in force at the time to regularisation under these rules.

(3) For the purpose of sub-rule (1) the appointing authority shall constitute a Selection Committee in accordance with the relevant provisions of Service Rules,

(4) The appointing authority shall, having regard to the provisions of sub-rule (1), prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority as determined from the date of order of appointment and, if two or more persons are appointed together, from the order in which their names are arranged in the said appointment order. The list shall be placed before the selection committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered necessary to assess their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4) and if it considers necessary, it shall interview the candidates also to assess their suitability.

(6) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranging their names in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

Appointments

5. The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which their names stand in the list.

Appointments be deemed to be under the relevant service rules etc.

6. Appointments made under these rules shall be deemed to be appointments under the relevant Service Rules or orders, if any.

Seniority

7. (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date of order of appointment after selection in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the relevant service rules, or as the case may be, the regular prescribed procedure, prior to the appointment of such person under these rules.

(2) If two or more persons are appointed together their seniority *inter se* shall be determined in the order mentioned in the order of appointment.

Terminat on of Services

8. The services of a person, appointed on daily wage basis who is not found suitable, after consideration under these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination he shall be entitled to receive one month's pay.

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.

यो० एस० यू० यो०--ए० पी० 19 सा० नियुक्त-(988)-1998--8,000 (मेके०)।